Deputing Planning Commission Members to Participating State of Sardar Sarovar Project

265. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT:
SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it had been decided to send one Member each of the Planning Committion to the participating States to assess and make indepth study of the problems of these States regarding implementation of the Sardar Sarovar Project;

(b) if so, the view taken by the participating States in this regard;

(c) whether Government have examined the recommendations made by the Members; and

(d) if so, the details thereof and the efforts being made by Government for early settlement of the dispute and for completion of the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) to (d) The Chief Minister of Gujarat had requested the Prime Minister for his intervention by convening a meeting of the Chief Ministers of all the four participating States to see that the construction work of the Sardar Sarovar Project (SSP) is resumed immediately during the current construction season. The construction of the dam has been affected mainly due to problems of rehabilitation and resettlement of people as affected by submergence. Considering that the completion of the project would yield vast economic benefits to the region and complete cooperation is necessary amongst the four participating States for smooth and timely implementation of this project, early resolution of pending issues becomes necessary. As such and to pave the way for holding a meeting at the Prime Minister's level with the four party States, it has been considered advisable to make efforts through informal talks separately with each of the four party States so as to narrow down their differences and thereby to bring these four States to a point of covergence. It is against this background, that the Member (Irrigation), Planning Commission, assisted by a Senior Officer from the Ministry of Water Resources, will be holding informal talks separately with each of the Party States.

Setting up of Standing Committees to Examine Existing Policies and rocedures

266. SHRI SOM PAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government propose to set-up several Standing Committees for going into the matters of existing policies and procedures with a view to expediting various decisions and implementation of various projects;

(b) If so, what are the details thereof; and

(c) what has been the progress in the matter, so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING PROG RAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) No Sir, there is no proposal at present to set up several Standing Committees for going into the matters of existing policies and procedures with a view to expedite various procedures and decisions in im plementation of various projects.

(b) and (c) Does not arise.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी निधियों की ब्याज राशि का उपयोग

267. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि**:**

(क) क्या यह सच हैं कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कोई कार्यकलाप आरंभ करने से पहले बैंको में रखी गई इस योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि को खर्च करने के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं;

(ख) क्या यह सच हैं कि कुछ स्थानों पर उक्त ब्याज-राशि संबंधित सांसदों की सिफारिश पर खर्चे की जा रही हैं, परन्तु ऐसे निदेशों के अभाव में इसे अन्य स्थानों पर आयुक्तों/जिलाधीशों द्वारा खर्च नही किया जा रहा हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ब्याज की इस राशि को संबंधित सांसदों की सिफारिश पर विकास कार्यों पर खर्च करने के संबंध में स्पष्ट निदेश जारी करने का विचार रखती हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेशवर सवनूर) : (क) से (ग) सभी जिला कलेंक्टरों को निदेश दिया गया हैं कि चाहे कोई भी प्रयोजन हो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग न करें। तथापि, ऐसे कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई हैं जिनमें ब्याज की राशि का उपयोग किया गया हैं। संबद्ध जिलार कलेक्टरों को कहा गया है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि में से खर्च की हुई राशि लौटाकर उसकी अनुपूर्ति करें। ब्याज की राशि के उपयोग से संबंधित मामला सरकार के विचारधीन हैं।

विलम्ब से चल रही परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

268. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1996 के अंत में देश में निर्माणधीन 100 करोड़ रूपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का क्या ब्यौरा क्या हैं;

(ख) तत्संबंधी मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उक्त परियोजनाओं में से उन परियोजनाओं की संख्या कितनी हैं जो अपने मूल निर्धारित समय से पीछे चल रही है, जिसके परिणास्वरूप लागत में वृद्धि हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के संबंध में कोई मूल्यांकन किया हैं; और

(ड़)यदि हां, तो इसकी वजह से प्रत्येक मंत्रालय पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्न माला देहरेश्वर सवनूर) : (क) से (ड.) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पास उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार दिनांक 31-12-1996 तक 100 करोड़ रूपए तथा उनसे अधिक की लागत वाली 199 परियोजनाएं थीं। उन 199 परियोजनाओं में से 122 परियोजनाएं अपने मूल निर्धारित समय से पीछे चल रहीं थी। विलंबित परियोजनाओं के कारण लागत में 39885 करोड़ (उन्नतालिस हजार आठ सौ पचासी करोड़) रूपए की वृद्धि हुई । निर्माणधीन परियोजनाओं का मंत्रालय-वार ब्यौरा एवं लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय भर अनुपत्र में दिया गया हैं। (देखिए परिशिष्ट 181, अनुपत्र संख्या 8)

असंतुलित विकास की समस्या

269. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भी असंतुलित विकास की स्थिति विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ग) क्या सरकार ने नवीं पंचवर्षीय योजना बनाने से पहले असंतुलित विकास की समस्या तथा उसके कारणों के संबंध में सूचना एकत्र की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा सरकार नवीं पंचवर्षीय योजना में असंतुलित विकास को रोकने के लिए क्या-क्या नए कदम उठाने का विचार रखती हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेशवर सवनूर) : (क) से (ग) किसी क्षेत्र की आयोजना एवं विकास सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व हैं, फिर भी केन्द्र सरकार संशोधित गाडगिल फार्मूले, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तथा वित्त आयोग द्वारा गैर योजना संसाधनों के हस्तान्तरण के अन्तर्गत संसाधनों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों की मदद करती हैं;

क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना योजना प्रक्रिया का एक अनिवार्य उद्देश्य हैं, फिर भी इन उद्देश्य के क्रियान्वयन में क्षेत्र की कुछ अन्तर्निहित, ऐतिहासिक एवं